भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	औचित्य
1.	पद का नाम	सहायक नर्सिंग अधीक्षक	सहायक नर्सिंग अधीक्षक	
2.	पदों की सं.	13* (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	13* (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	सामान्य सिविल सेवा ग्रुप 'ग' और अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.04.2009 के आदेश सं. 11012/7/2008-स्था. (ए) में पद संबंधी सुपष्टीकरण के अनुसार।
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	1. वेतनमान रु. 2000-60-2300-ईबी-75-3200 (चौथा के.वे.आ.) 2. पांचवा के.वे.आ. एस-12 (6500-200-10,500) 3. छठा के.वे.आ. पीबी-2 ग्रे.पे. रु. 5400 4. सातवां के.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स का लेबल-9	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-9	
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	चयन	चयन	
6.	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 7) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	
7.	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 8) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित	लागू नहीं	लागू नहीं	

	शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता			
क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
8	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 9) क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	
9.	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 10) परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	लागू नहीं	लागू नहीं	
10.	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 11) भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	
11.	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 12) प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	सीआईपी, रांची में समकक्ष ग्रेड नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा वाली नर्सिंग सिस्टर्स/वार्ड सिस्टर्स, मनश्चिकित्सा नर्सेस, जन स्वास्थ्य नर्सेस।	सीआईपी, रांची में समकक्ष ग्रेड वाली नर्सिंग सिस्टर्स (अब वरि. नर्सिंग अधिकारी) जिन्होंने छठे के.वे.आ. के अनुसार वेतन बैंड -2, ग्रे.पे. 4800 रु. के वेतनमान तथा 7वें के.वे. आ. के अनुसार लेवल-8 में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.03.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी.14017/61/2008 (आरआर) के अनुसार प्रस्ताव संशोधित किया जाता है कि संस्थान मे एएनएस पद पर पदोन्नति हेतु एक मात्र फीडर पद नर्सिंग सिस्टर (अब वरि. नर्सिंग अधिकारी) है, जो छठे के.वे.आ. के

				अनुसार पीबी-2, ग्रे. पे. 4800 रु. के वेतनमान में तथा सातवें के.वे.आ. के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 8 में है।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: 1. अपर नर्सिंग अधीक्षक - अध्यक्ष 2. मुख्य नर्सिंग अधिकार/नर्सिंग अधीक्षक - सदस्य 3. उप-निदेशक .(प्रशा.)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ग्रुप 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना : 1. संस्थान के निदेशक /निदेशक प्रभारी- अध्यक्ष 2. चिकित्सा अधिकारी - सदस्य 3. सहा. प्रोफेसर – सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य 5. किसी अन्य केन्द्र सरकारी संगठन से ग्रुप 'क' का एक अधिकारी	
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सभा आयोग से परामर्शन आवश्यक है।	